प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 16.05.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6005 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6005 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत रेशमपुर से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल का आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (1.भीम विश्वकर्मा पुत्र करन सा0 सोनौरा थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर 2.अजय यादव पुत्र रमेश यादव सा0 नन्दौर थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को पीआरवी 6005 की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायलो को इलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ- हे0 का0 सरियतुल्ला, का0 अभिषेक मिश्रा, हो0 चा0 परमेश्वर।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 495 वाहनों से 5,53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 16.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 495 वाहनों से 5,53,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाईप बरामद

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल ***श्री राकेश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत सम्बन्धित मु0अ0सं0 191/2026 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/109 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता हरिवेद पुत्र झीनक निवासी जब्बार थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 16.05.2026 को जब्बार से घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे की पाईप के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनाँक 15.05.2026 को वादी श्री अमरेश पुत्र रामप्रकाश निवासी हरदी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर बिना किसी बात के जान से मारने की नीयत से मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 16.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, हे0का0 रोहित कुमार , कां0 अक्षय राय।